133 723

INDIA NON JUDICIAL

Government of Jharkhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-JH01709129317672N
Certificate Issued Date	:	22-Jul-2015 12:10 PM
Account Reference	:	NONACC (BK)/ jhbobbk02/ SIMDEGA/ JH-SD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-JHJHBOBBK0202149476156687N
Purchased by	:	PURNIMA KERKETTA
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	SALE DEED
Consideration Price (Rs.)	:	7,75,000 (Seven Lakh Seventy Five Thousand only)
First Party	:	LAXMI PRADHAN
Second Party	:	PURNIMA KERKETTA
Stamp Duty Paid By	:	PURNIMA KERKETTA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	31,000 (Thirty One Thousand only)

Please write or type below this line

लक्ष्मी प्रधान
28-7-15

Purnima Kerketta
28-07-2015

जिला अवर निबंधक सिमडेगा
जिला-सिमडेगा (झारखंड)

XM 0002795299

VOID VOID VOID VOID
VOID VOID VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate

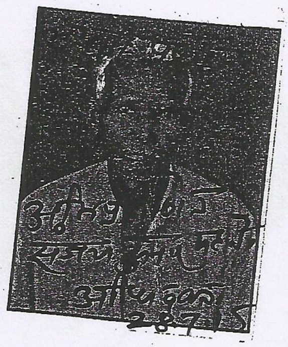

लक्ष्मी प्रधान
28.7.15

23 I A with the permission
by S.D.O. Simdega vide
Case No. 235 / R 8 (ii) / 2014-15
order dated
14-3-15

28.7.15

§1§ लेख्यकारी :- श्री लक्ष्मी प्रधान पिता स्व0 अनन्त पाल प्रधान जाति- गोंड़, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- सिमडेगा खरवाटोली थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .... बिक्रेता ।

शमथ-पत्र संख्या :- 394/2015

फोर्म 60

28/07/2015

§2§ लेख्यधारिणी :- श्रीमति पूर्णिमा केरकेट्टा पति श्री ए० एम० केरकेट्टा, जाति- खड़िया, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- मरियम्मपुर, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शमथ-पत्र संख्या :- 395/2015
फोर्म 60

§3§ लेख्यप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य :- मोबलिग सात लाख पचहत्तर हजार रूपये अंके 7,75,000/- रूपये होता है ।

§5§ सम्पति :- एराजियात अन्दर मौजा- सिमडेगा, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 116, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 117 §एक सौ सतरह§ प्लॉट नं० 1903 §उन्नीस सौ तीन§ रकबा 8.49 एकड़ में से 0.25 एकड़ §पच्चीस डिसमिल§ शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय है, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- इसी प्लॉट का अंश,

दक्षिण:- कच्चा रास्ता 15 फीट का,

पूरब :- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10 फीट का कच्चा रास्ता,

पश्चिम:- तैयब मियां का मकान धेरा ।

मालगुजारी 10 पैसा §दस पैसा§ अलावे सेस सलाना ।

(1) चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे दादा रघुवर गोंड़ के नाम से नाप दर्ज है । मेरे दादा एवं पिताजी की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद जमीन का आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 235 आर 8 §।।§/2014-15 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 14.3.15 को प्राप्त हुई एवं जिसका ज्ञापांक 240§।।§ दिनांक 14.3.15 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है ।

मरियम प्रधान
28.7.15

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

लक्ष्मी प्रधान
28.7.15

लक्ष्मी प्रधान
28.7.15

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के
बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप
मेरे समक्ष लिया गया। संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
28.7.2015

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

PURNIMA KERKETTA
28.07.2015

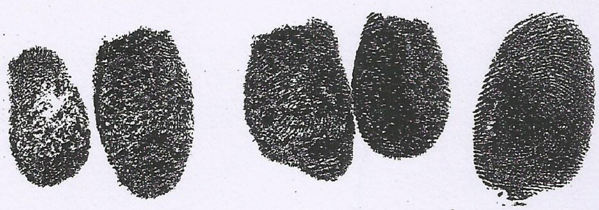

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारिणी के
बांये हाथ का पांचों अंगुलियों का छाप
मेरे समक्ष लिया गया।

संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
28.7.2015

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
{प्रारूपकर्ता} 28.7.2015
तारीखः-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 652 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसुद
28.7.2015
मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

सुखमनी प्रधान
28.7.15

शहरी आवासीय
शीट नं०-२

मौजा- सिमडेगा खैरनटोली
थाना- सिमडेगा
थाना नं०- 116
जिला- सिमडेगा (राँची)
संकेत- ■
स्केल- 16" = एक माइल

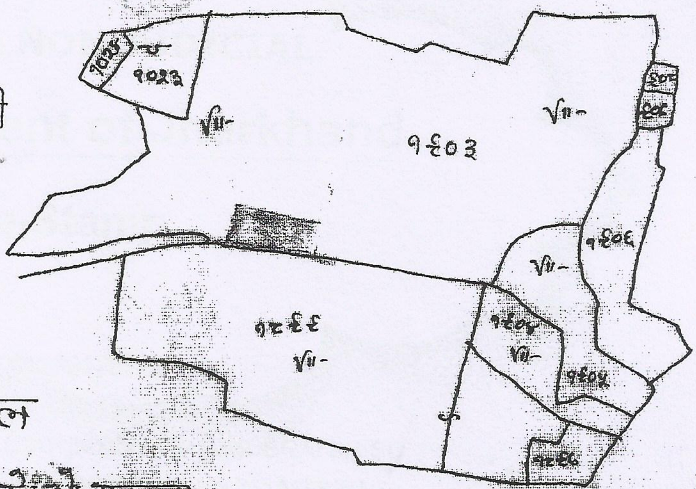

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा में से रकबा	
117	1903	8.49 ए०	0.25 एकड़

चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश
दक्षिण:- कच्चा रास्ता 15' का
पूरब:- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10' का कच्चा रास्ता
पश्चिम:- तैयब मिश्रा का मकान घेरा

अ० मापक अमीन
मौ० मकसूद
20-1-2015

लोधमो प्रधान
2-7-15